4/5/19

आज श्रीमान ए.टी.एम. / एस.डी.एम
साहब दौरे / अवकाश पर हैं ।
पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली
तारीख 14/5/19 को पेश हो।

14.5.19

पत्रावली पेश हुई। विद्वान वादी के अधिवक्ता
ने कहा वाद में वादीगण का हित नहीं रहा है अतः
खारिज किया जाकर दी गई है। निष्पादित आदेश
अपीलार्थी दिनांक 30-5-19 को पश्चात प्रस्तुत :रव

इतना लिखे जाने के पश्चात वादग्रस्त भूमि की
वर्तमान स्थिति के संबंध में पटवारी हल्का के
चार जमाबंदी मंगवाई है। पटवारी हल्का रेवत
खेड़ा 8 ग्राम रेवत की संवत 2073-76 ख.नं.
623 रकबा 0.08 बीघा, ख.नं. 625 रकबा 22.02
बीघा की जमा बंदी पेश की गई। उक्त जमाबंदी
का अवलोकन करने पर पाया गया है कि वर्तमान में
उक्त भूमि में वादीगण का कोई हक हित नहीं
है तथा किसी भी प्रकार से इनका हित प्रभावित
नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब वादीगण के
न्यायालय शरण में किसी भी प्रकार का अनुतोष
दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण
का वाद वादीगण के वाद ग्रस्त भूमि में हक हित
नहीं होने से खारिज किया जाता है। निष्पादित आदेश
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मालकाने जब्त।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
A.S.